

राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रानीखेत

सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय, अल्मोड़ा, उत्तराखण्ड

ANTI-RAGGING CELL

Anti-Ragging Campaign (UGC Guidelines)

समिति का नाम : Anti-Ragging Cell / रैगिंग निरोधक समिति

शैक्षणिक सत्र : 2025-26

नोडल अधिकारी : डॉ. सत्यमित्र सिंह (प्राध्यापक)

प्राचार्य : डॉ. पुष्पेश पांडे

Anti-Ragging Campaign

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) के *Anti-Ragging Regulations*, सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय, अल्मोड़ा तथा राज्य सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुपालन में शैक्षणिक सत्र 2025-26 के दौरान महाविद्यालय में Anti-Ragging Cell / रैगिंग निरोधक समिति सक्रिय रूप से कार्यरत रही।

सत्र के दौरान नवप्रवेशित एवं वरिष्ठ छात्रों के लिए रैगिंग विरोधी शपथ, जागरूकता कार्यक्रम, ऑरिएंटेशन सत्र तथा परामर्श सेवाएँ नियमित रूप से आयोजित की गईं। महाविद्यालय परिसर को Ragging Free Zone के रूप में बनाए रखने हेतु सतत निगरानी एवं अनुशासनात्मक व्यवस्था सुनिश्चित की गई।

संपूर्ण शैक्षणिक सत्र में महाविद्यालय परिसर में रैगिंग से संबंधित कोई भी शिकायत अथवा घटना प्राप्त नहीं हुई।

ऑनलाइन पंजीकरण स्थिति :

महाविद्यालय की Anti-Ragging Cell विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित सभी अनिवार्य ऑनलाइन पोर्टलों पर पंजीकृत है। छात्रों द्वारा रैगिंग-विरोधी शपथ एवं संबंधित विवरण समय-समय पर ऑनलाइन अद्यतन किए गए।

प्रमुख ऑनलाइन पोर्टल :

- UGC Anti-Ragging Portal : <https://www.antiragging.in>
- सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय, अल्मोड़ा : <https://www.ssju.ac.in>

क्रम संख्या	विवरण	संख्या
1	महाविद्यालय में कुल नामांकित छात्र (सत्र 2025-26)
2	ऑनलाइन Anti-Ragging शपथ भरने वाले छात्र
3	प्राप्त रैगिंग शिकायतें	0

उपरोक्त गतिविधियों के परिणामस्वरूप महाविद्यालय परिसर पूर्णतः रैगिंग-मुक्त, सुरक्षित एवं अनुशासित रहा।

हस्ताक्षर

नोडल अधिकारी – Anti-Ragging Cell
(डॉ. सत्यमित्र सिंह)

हस्ताक्षर एवं मुहर
प्राचार्य

Anti-Ragging Campaign – Activity Entry

गतिविधि का नाम : Anti-Ragging Campaign / Anti-Ragging Initiative

शैक्षणिक सत्र : 2025–26

महाविद्यालय में Anti-Ragging Cell का गठन कर UGC के दिशा-निर्देशों के अंतर्गत रैगिंग विरोधी शपथ, जागरूकता कार्यक्रम, नवप्रवेशित छात्रों के लिए ओरिएंटेशन एवं परामर्श सेवाएँ संचालित की गईं। महाविद्यालय परिसर को Ragging Free Zone बनाए रखने हेतु सतत निगरानी की गई।

सत्र के दौरान रैगिंग से संबंधित कोई भी शिकायत प्राप्त नहीं हुई।

Outcome / परिणाम :

- सुरक्षित, अनुशासित एवं रैगिंग-मुक्त महाविद्यालय परिसर
- छात्रों में रैगिंग के दुष्परिणामों एवं कानूनी प्रावधानों के प्रति जागरूकता

नोडल अधिकारी – Anti-Ragging Cell

(डॉ. सत्यमित्र सिंह)

हस्ताक्षर
प्राचार्य